23. Tripura	18
24. Uttar Pradesh	243
25. West Bengal	249
26. A&N Islands	3
27. Chandigarh	1
28. Dadra & Nagar Haveli	0
29. Daman & Diu	0
30. Delhi	0
31. Lakshadweep	0
32. Pondicherry	2
ALL	2870

Source: Planning Commission (LEM Division) on the basis of 50th round survey of NSSO.

ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

2387. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 87% ग्रामीण क्षेत्र का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब तक केवल 31% घरों को ही बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोग इसलिए कम होता है क्योंकि वहां बिजली कम मात्रा में उपलब्ध होती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितने परिवारों को बिजली मुहैया करायी जाने का लक्ष्य है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोका जाना

2388. श्री नागमणि: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार के अवसरों और जीवनयापन के अन्य साधनों की वजह से लोग बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी सहित शहरी क्षेत्रों में गए लोगों की संख्या क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के और अवसर प्रदान किए जाएंगे जिससे इस प्रवृत्ति को विपरीत मोड़ दिया जा सके; और

(घ) गांवों से शहरों की ओर लोगों के इस तरह के पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार रोजगार या व्यवसाय की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 104 मिलियन थी और कुल ग्रामीण आबादी 628.69 मिलियन थी।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। अर्थात् (क) जवाहर रोजगार योजना (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना (ग) दस लाख कुओं की योजना (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ङ) ट्राइसेम (च) डवाकरा और (छ) ग्रामीण कारीगरों के उन्नत औजार किटों की आपूर्ति।

ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण

2389. **श्री नागमणि: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण करने का विचार रखती है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के कुल अकुशल, कुशल, अशिक्षित और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा चुकी है/की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को निर्धारित किया गया है/किया जा रहा है; और

(ङ) क्या इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों की भूमिका भी निर्धारित की गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी सक्षम वयस्कों, जिनको निधियों की आवश्यकता और इच्छा है किन्तु वे इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, के लिए गैर कृषि मौसम के दौरान शारीरिक श्रम वाला लाभकारी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इच्छुक श्रमिकों को अपना नाम वी०एल०डब्ल्यू० अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कार्य स्थल पर पंजीकृत कराना होता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 50वें सर्वेक्षण (1993-94) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या 4.71 मिलियन होने का अनुमान है। कुल बेरोजगारों में से (आयु समूह 15+) शिक्षित बेरोजगारी की संख्या 60.9% है। कुल ग्रामीण बेरोजगार लोगों में से कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों की संख्या मालूम नहीं है।

(घ) भारत सरकार ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करती है और ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक कार्यों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास, रोजगार अवसरों का सृजन, आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन, जागरूकता सृजन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने पर लक्षित परियोजनाओं/योजनाओं का प्रोत्साहन, आयोजन संचालन, विकास, रखरखाव और सहायता करना है।

(ङ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो एक स्वरोजगार कार्यक्रम है के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लाभार्थियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है जबकि लाभार्थियों को सहायता का सब्सिडी घटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

ग्रामीण विकास योजनाओं में आर्थिक अनियमितताएं

2390. **श्रीमती शबाना आज़मी:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि सरकार को गत तीन वर्षों में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी आर्थिक अनियमितताएं बरती जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली आर्थिक धांधलियों को रोकने हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल): (क) और (ख) इस मंत्रालय के कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किए जाते हैं हालांकि जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रम देश की सभी पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं तथापि अन्य अधिकांश कार्यक्रमों का कवरेज भी अत्यंत व्यापक है। कार्यान्वयन के रूप में भी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई एजेंसियां जिम्मेदार हैं। जब कभी भी मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का जिला स्तर पर डी०आर०डी०ए० द्वारा निगरानी की जाती है। ब्लाक/डी०आर०डी०ए० स्तर पर क्षेत्र के दौरों और परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन द्वारा निगरानी की जाती है। डी०आर०डी०ए० का शासी निकाय डी०आर०डी०ए० द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है और वार्षिक योजना भी अनुमोदित करता है। अन्य व्यक्तियों के अलावा संसद सदस्य और विधायक डी०आर०डी०ए० के शासी निकाय के सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है। केन्द्रीय स्तर पर केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करती है और नीति संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करती है। इसी प्रकार इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, सतर्कता और निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के अनुदेश जारी किये गये हैं। संसद सदस्य, विधायक और राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि आदि इन समितियों के सदस्य होते हैं। ये समितियां विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के जिले में कार्यान्वयन में निधियों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए भी अधिकृत हैं। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए ब्लाक और जिला स्तर पर

5215/RS-5-95